निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)

प्रकरण संख्या 37/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बदी प्रसाद पुत्र श्री बिरदा जाति मीणा निवासी ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ जिला जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री चिमन लाल मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।
2. भौरी पत्नी श्री श्योराम
3. हाबू पुत्र श्योराम
4. मीरा पत्नी नरसी पुत्रवधु श्योराम

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नटाटा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

5. तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 23/2020 ब उनवानी चन्दा व अन्य बनाम श्योराम व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री उमेश पुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14.09.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 23/2020 ब उनवानी चन्दा व अन्य बनाम श्योराम व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है एंव स्थानीय विधायक से उनके निजी संबंध है। जिस नाते जो भी अधिकारी उनके वाद की सुनवाई करता है वह प्रतिवादीगण का पक्ष लेता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के अभिभाषक ने यह एलानिया घोषणा की आप कुछ भी कर

जिला कलेक्टर
जयपुर

लो साहब हम कहेंगे वो ही होगा। हमारी लिखित बहस रिकार्ड पर आ चुकी है और आपकी दिनांक 26.07.2022 को बहिष्कार होने से पूर्व बहस हो चुकी है। उक्त प्रकरण में पिछली 26 जुलाई को पीठासीन अधिकारी के दबाव से प्रार्थी की बहस सुन ली गई । उक्त बहस सुनने के पश्चात प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 ने उसी दिनांक को लिखित बहस पेश कर गांव में उसी दिन मिठाईयां बांट दी और एलानिया घोषणा की कि हमारे पक्ष में फैसला आने वाला है साहब से हमारे पक्ष में फैसला करने बाबत एम एल ए साहब ने भी कह दिया है । साथ ही रूपये पैसे की बात भी हो चुकी है तथा अगली तारीख को हमारे पक्ष में फैसला हो जावेगा। पिछली पेशी पर स्वयं पीठासीन अधिकारी ने खुले न्यायालय में प्रार्थी को कहा कि मेरे पर दबाव है इसलिए मै कुछ नहीं सुनुगा। अप्रार्थीगण एक भू–माफिया से वास्ता रखता है व संख्या बल बाहुबल एवं धनबल युक्त है और उसके द्वारा ऐसी एलानिया धोषणा से प्रार्थी को यह आभास हो गया है कि मुझे न्याय प्राप्त नहीं होगा। न्याय होने के लिए न्याय की यह मंशा रहती है कि न्याय की प्राप्ति के साथ साथ सभी पक्षकारों को यह प्रदर्शित होना चाहिए कि उन्हें न्याय प्राप्त होगा । यदि पक्षकारों को न्याय नहीं प्राप्त होने का अंदेशा हो तो प्रकरण को अन्य न्यायालय को हस्तान्तरण किया जाना विधि अनुरूप व न्याय संगत है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 23/2020 ब उनवानी मंगली व अन्य बनाम श्योराम व अन्य को न्यायालय पर उपखण्ड अधिकारी बस्सी को अन्तरण किया जाता है।

7. उपखण्ड अधिकारी बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

8. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ एवं उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर